अध्याय-V

रोजगार सृजन

5.1 रोजगार प्रदान करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की अनुच्छेद 3.2 में यह निर्धारित किया गया है कि एक पंजीकृत ग्रामीण परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम जॉब कार्ड में दर्ज है, अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का पात्र है। किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने वाले रोजगार के दिनों की संख्या या उसे प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की संख्या पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी, जो एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार न्यूनतम 150 दिनों के प्रावधान के अधीन होगी।

5.1.1 मनरेगा योजना में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की अनुच्छेद 3.4(x) में यह निर्धारित है कि रोजगार प्रदान करते समय महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी, कम से कम एक-तिहाई (33 प्रतिशत) लाभार्थी ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है और कार्य की मांग की है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मनरेगा के अंतर्गत नमूना जांच किये गए छः जिलों में, महिला श्रमिकों ने कुल मानव दिवसों का 43 प्रतिशत (सरगुजा) से 59 प्रतिशत (रायपुर) के बीच सृजन किया, जो अनिवार्य 33 प्रतिशत भागीदारी दर से अधिक था। चुने गए 12 जनपद पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी 42 से 73 प्रतिशत तक थी जबकि चुने गए 48 ग्राम पंचायतों में यह 32 से 79 प्रतिशत के बीच रही। यह लगातार और पर्याप्त भागीदारी राज्य में सभी स्तरों पर योजना में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है। इसके अलावा, मानव-दिवस के सृजन में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदायों का प्रतिनिधित्व नमूना जांच वाले जिलों में उनकी आबादी के अनुपात में था, जिसमें दंतेवाड़ा (84 प्रतिशत), बलरामपुर (59 प्रतिशत), और सरगुजा (63 प्रतिशत) जैसे जिले मजबूत भागीदारी दिखाते हैं। रायपुर (28 प्रतिशत) में भी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी उनके जनसांख्यिकीय हिस्से के बराबर थी, जो रोजगार कार्यक्रम के संतुलित और समावेशी कार्यान्वयन को दर्शाता है।

5.2 मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग

काम के लिए आवेदन आम तौर पर ग्राम पंचायत को लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिसमें जॉब कार्ड की पंजीकरण संख्या, रोजगार की आवश्यकता की तिथि और आवश्यक रोजगार के दिनों की संख्या का उल्लेख होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि राज्य, जिला और जनपद पंचायत स्तरों पर सूचना प्रबंधन प्रणाली में रोजगार की मांग का समेकित डेटा उपलब्ध नहीं था, यद्यपि ऐसा डेटा 'नरेगासॉफ्ट' में दर्ज किया जा रहा था। वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान 48 चयनित ग्राम पंचायतों में से 43 ग्राम पंचायतों में, सूचना प्रबंधन प्रणाली में कुल 25.90 लाख मानव-दिवसों के लिए 50,864 श्रमिकों से रोजगार की मांग दर्ज किए गए। इस मांग के विपरीत, वास्तव में केवल 17.14 लाख मानव-दिवस प्रदान किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 8.76 लाख मानव-दिवस की कमी हुई। यह कमी इंगित करती है कि ग्राम पंचायतें योजना के तहत अनिवार्य रोजगार की मांग को पूरा करने में असमर्थ थे।

इसके अतिरिक्त, 48 ग्राम पंचायतों में मांग पंजी में महत्वपूर्ण कमियां देखी गईं। पंजियों का रखरखाव अधूरा और अनियमित था, जिसमें प्रमुख विवरण जैसे कि मांगे गए कार्य दिवसों की संख्या और मांग का दिनांक या तो गायब था या दर्ज नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा राज्य, जिला और जनपद स्तरों पर समग्र रोजगार मांग का आंकलन नहीं कर सकी क्योंकि समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थी और मैनुअल मांग पंजियों के रखरखाव में कमी थी या अनुचित रखरखाव था, जैसा कि अधिनियम के प्रावधानों में परिकल्पित था। अभिलेख संधारण में यह कमी योजना के तहत मांग आधारित रोजगार सृजन की पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करती है।

इंगित किये जाने पर आयुक्त, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद ने कहा (नवंबर 2024) कि राज्य स्तर पर रोजगार की मांग सूचना प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी।

5.2.1 न्यूनतम रोजगार दिवस प्रदान करने में कमी

वर्ष 2019-24 के दौरान चिन्हित परिवारों को प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की विस्तृत विवरण **तालिका 5.1** में दी गई है।

तालिका 5.1: राज्य में परिवारों को प्रदान किया गया रोजगार

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	कुल सक्रिय जॉब कार्ड/परिवारों की संख्या[1]	कुल नियोजित परिवार	परिवारों को कितने दिनों के लिए नियोजित किया गया			
			50 दिनों तक	51 से 99 दिन	100 दिन	100 दिनों से अधिक
2019-20	31.98	24.45	13.17	7.10	0.23	3.95
2020-21	35.15	30.60	15.19	9.29	0.23	5.89
2021-22	34.82	28.54	14.53	8.46	0.31	5.24
2022-23	31.91	25.74	14.87	7.36	0.26	3.25
2023-24	32.48	24.77	14.47	6.87	0.20	3.23

(स्रोतः सूचना प्रबंधन प्रणाली)

प्रदान किए गए रोजगार की स्थिति को **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

[1] सक्रिय जॉब कार्ड : परिवारों का कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले तीन वित्तीय वर्षों या चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी एक दिन काम किया है।

चार्ट 5.1: परिवारों के द्वारा उपयोग किये गए मानव-दिवस का रुझान

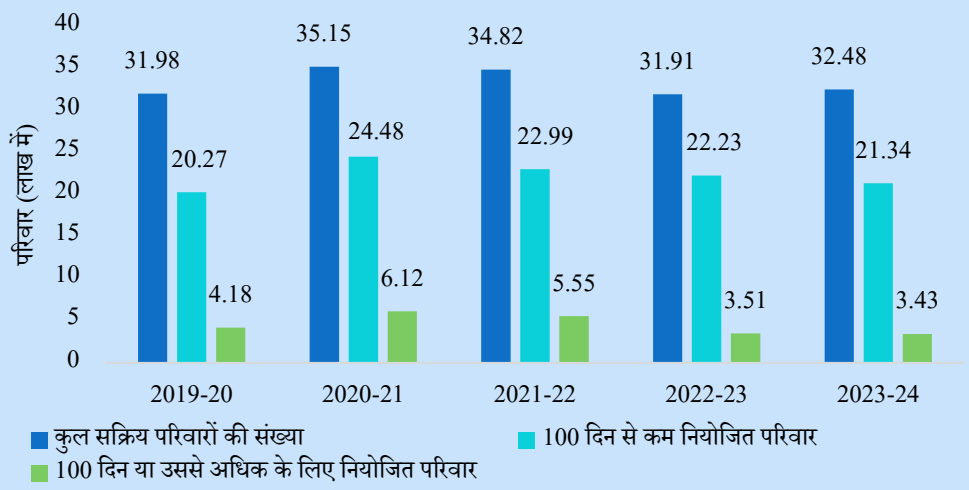

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान, 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने वाले परिवारों की संख्या उच्चतम थी, जब 31 लाख परिवारों को रोजगार मिला था। यह पांच साल की अवधि में सबसे अधिक था और संभवतः कोविड-19 महामारी के दौरान मजदूरी रोजगार की बढ़ी हुई मांग के कारण थी। यद्यपि, इसके बाद गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें वर्ष 2023-24 में केवल 24.77 लाख परिवारों को रोजगार मिला जिससे यह भी पता चलता है कि अधिकांश परिवारों (54 प्रतिशत) को लगातार सालाना 50 दिन या उससे कम रोजगार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, 2019-24 के दौरान 21.56 लाख परिवारों को 100 दिन से ज्यादा रोजगार दिया गया, जबकि 1.23 लाख परिवार पूरे 100 दिन का रोजगार पा सके, जो योजना के निर्धारित कवरेज में बड़ी कमी और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कार्यान्वयन में असमानता को दर्शाता है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक परिवार मांग करने पर 100 दिनों के रोजगार का हकदार है। यह भी सूचित किया गया कि राज्य में प्रति परिवार अधिकतम 150 दिनों तक रोजगार प्रदान किया जा रहा है और वास्तविक औसत 51 से 60 दिनों के बीच है।

उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि मांग करने पर प्रति परिवार 100 दिनों के रोजगार की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 51 से 60 दिनों का औसत रोजगार प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, आंकड़े स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि केवल परिवारों का एक छोटा सा हिस्सा 100 दिनों के पूर्ण रोजगार का लाभ उठा सका, जिसमें अधिकांश को सालाना 50 दिनों से कम समय का रोजगार मिलता है। इसलिए, मनरेगा के तहत परिकल्पित कार्यान्वयन से सतत रोजगार सृजन नहीं हुआ।

5.2.2 चयनित जिलों द्वारा मानव-दिवस में सृजित रोजगार

जिला कार्यक्रम समन्वयक को यह सुनिश्चित करना होता है कि जिले की प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा चयनित परियोजनाओं की स्वीकृति में कार्य योजना के नियोजन से अनुमोदन तक बॉटम-अप दृष्टिकोण के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया जाय। वर्ष 2019-24 के दौरान छः नमूना जांच

वाले जिलों में अनुमानित मानव-दिवसों और सृजित मानव-दिवसों का विवरण **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: छः नमूना जांच किए गए जिलों में अनुमानित और सृजित मानव-दिवस

जिला	2011 तक ग्रामीण जनसंख्या (लाख में)	सृजित मानव दिवस (लाख में)	कुल व्यय (करोड़ में)	निष्पादित कार्यों की संख्या
बलरामपुर	6.96	215.22	654.40	38636
दंतेवाड़ा	4.37	93.95	245.22	24997
जशपुर	7.76	300.40	816.08	66961
रायगढ़	12.48	265.33	762.09	73268
रायपुर	25.81	372.94	923.57	22968
सुरगुजा	21.17	199.84	504.88	50111
कुल		**1447.68**	**3906.24**	**276941**

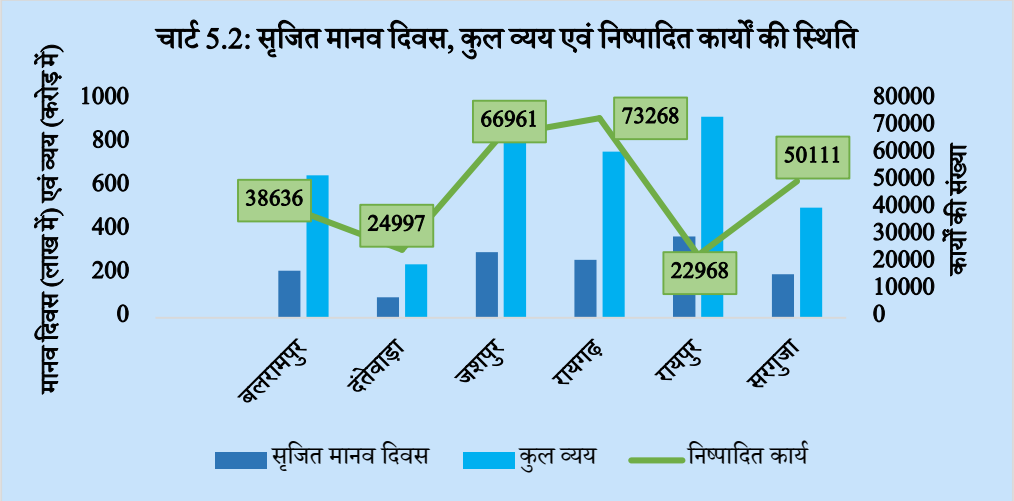

वर्ष 2019-24 के दौरान सृजित मानव-दिवस, कुल व्यय और निष्पादित कार्यों की संख्या के आधार पर चयनित जिलों के प्रदर्शन से पता चला कि रायपुर जिले ने सर्वाधिक 373 लाख मानव-दिवस सृजित किये तथा सबसे अधिक ₹ 924 करोड़ का व्यय दर्ज किया, यद्यपि इसने अन्य जिले की तुलना में कम कार्य (22,968) निष्पादित किए। जशपुर और रायगढ क्रमशः 300 लाख और 265 लाख मानव-दिवस के साथ क्रमशः 66,961 और 73,268 कार्यों को निष्पादित किया। बलरामपुर और सरगुजा ने सामान्य मानव-दिवसों का सृजन किया (क्रमशः 215 लाख और 200 लाख) जिसमें बलरामपुर में 38,636 कार्य तथा सरगुजा में 50,111 कार्य निष्पादित किए गए। दंतेवाड़ा में सबसे कम 94 लाख मानव-दिवस, ₹ 245 करोड़ व्यय और 24,997 कार्यों निष्पादित किये गए। कुल मिलाकर चयनित जिलों में 2,76,941 कार्यों को निष्पादित करने पर 3,906 करोड़ रुपये व्यय हुए एवं कुल 14.47 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि जिलों द्वारा सृजित मानव-दिवसों और किए गए व्यय में भिन्नता पंजीकृत परिवारों की संख्या और उनकी रोजगार मांग के अनुसार थी।

5.3 बेरोजगारी भत्तों का भुगतान न किया जाना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार, यदि आवेदन के 15 दिनों के अन्दर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदक पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर के एक-चौथाई के बराबर एवं फिर शेष अवधि के लिए मजदूरी दर का आधा दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। अधिनियम की धारा 8 (3) के अनुसार राज्य सरकार को इस भत्ते का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है।

इसे लागू करने के लिए, छत्तीसगढ़ शासन ने मनरेगा बेरोजगारी भत्ता नियम, 2013 को अधिसूचित किया। कार्यक्रम अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर ऐसे मुआवजे के भुगतान पर निर्णय लेना होता है, किसी भी अस्वीकृति के कारणों को एक साथ नरेगासॉफ्ट में दर्ज करना होता है तथा स्वीकृत मुआवजे को राशि अंतरण आदेश के माध्यम से मजदूरी के साथ संसाधित कर भुगतान सुनिश्चित करना होता है।

राज्य स्तर पर काम की मांग और प्रति परिवार प्रदान किए गए रोजगार की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 5.3** में दी गई है।

तालिका 5.3: मांग के विरुद्ध रोजगार की कमी

(₹ लाख में)

वर्ष	काम की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	काम प्रदान किये गए परिवारों की संख्या	मांग के विरुद्ध कमी	भत्ते के लिए पात्र परिवारों की संख्या
2019-20	29.03	24.45	4.58	जानकारी न तो सूचना प्रबंधन प्रणाली में जानकारी उपलब्ध थी और न ही विभाग द्वारा प्रदान की गई थी।
2020-21	34.53	30.60	3.93	
2021-22	31.90	28.54	3.36	
2022-23	29.30	25.74	3.56	
2023-24	27.60	24.77	2.83	
कुल	**152.36**	**134.10**	**18.26**	

(स्रोतः सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

वर्ष 2019-24 के दौरान, 152.36 लाख परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की मांग की, जिसके विरुद्ध 134.10 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया, इस प्रकार 18.26 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया, जो परिवारों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है। यद्यपि, इन परिवारों को कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 2019-24 के दौरान बेरोजगारी भत्ते के लिए राशि ₹ 2.22 करोड़ के बजटीय प्रावधान किए थे, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था और पूरी राशि समर्पित कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन में सभी जिलों के लिए देय बेरोजगारी भत्ता, भुगतान और देय को शून्य के रूप में दर्ज किया गया था। यद्यपि, बेरोजगारी भत्तों पर विस्तृत जानकारी सूचना प्रबंधन प्रणाली (नरेगासॉफ्ट) में ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध थी। नमूना जांच किए गए 48 ग्राम पंचायतों का विवरण **तालिका 5.4** में दिया गया है।

तालिका 5.4: चयनित ग्राम पंचायतों में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान न किया जाना

(₹ लाख में)

वर्ष	बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र श्रमिकों की संख्या	पात्र बेरोजगारी दिवस	बेरोजगारी भत्ता देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया
2019-20	1993	15504	13.64
2020-21	3085	19408	18.44
2021-22	1694	10169	9.81
2022-23	1482	9004	9.18
2023.24	673	4120	4.55
कुल	8927	58205	55.62

(स्रोतः पंचायत लॉगिन पर सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि नमूना-जांच किए गए ग्राम पंचायतों में, 8,927 श्रमिकों को राशि ₹ 55.62 लाख की बेरोजगारी भत्ते देय थे, लेकिन कोई राशि वितरित नहीं की गई थी। पूरे राज्य के लिए देय बेरोजगारी भत्ते के कुल आंकड़ों की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि जनपद पंचायत, जिला पंचायत और राज्य स्तर की सूचना प्रबंधन प्रणाली में बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र परिवारों की संख्या का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। अनुचित और अपर्याप्त आंकड़ा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को इंगित करता है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि बेरोजगारी भत्ता देय नहीं है यदि मजदूर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है, पहले से ही 100 दिन का काम पूरा कर चुका है, या यदि प्राकृतिक आपदाओं या कानून और व्यवस्था के मुद्दों के कारण रोजगार संभव नहीं था, तथा बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र परिवारों की संख्या शून्य थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस स्पष्ट रूप से उन बेरोजगारी के दिनों को दर्ज करता है जो मुआवजे के लिए पात्र थे। तथापि बेरोजगारी भत्ते के भुगतान से बचने के लिए किसी विशिष्ट कारण को दर्ज किए बिना सभी मामलों को अपात्र मान लिया गया और पात्र लाभार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया।